न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

जी0सी0एम0एस0 – 2013/00031

राजस्व वाद संख्या 60/2013

मंगला मीणा पुत्र स्व0 श्री जीवण, जाति मीणा, निवासी ग्राम लबाना, तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – – वादी

बनाम

1. सीताराम मीणा पुत्र स्व0 श्री रेवड़
2. बाबूलाल मीणा पुत्र स्व0 श्री रेवड़
   निवासी ग्राम लबाना, तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. श्रीमती पांची देवी बेवा स्व0 श्री रेवड़ मीणा, जाति मीणा निवासी ग्राम लबाना तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – – प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :–25.08.2022

संक्षेप में वादी ने दावा इस आशय का पेश किया है कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम लबाना, पटवार क्षेत्र आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित विवादित आराजी ख0नं0 425 रकबा 0.22 हैक्टे0, ख0नं0 437 रकबा 1.71 हैक्टे0, ख0नं0 439 रकबा 0.84 हैक्टे0, ख0नं0 440/2354 रकबा 0. 45 हैक्टे0, ख0नं0 441 रकबा 0.16 हैक्टे0, ख0नं0 442/2355 रकबा 0.27 हैक्टे0 एवं ख0नं0 443 रकबा 0.17 हैक्टे0, कुल किता 7 रकबा 3.82 हैक्टे0 वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त को आपसी सहमति एवं रजामंदी से हुए विभाजन के अनुसार विधिवत विभाजन करवाने के लिए एक आपसी विभाजन करवाने के लिए एक आपसी विभाजन पत्र दिनांक 07.11.2011 को 100/–रूपये के एक किता स्टाम्प एवं 2 किता सादे कागजों पर प्रतिवादीगण द्वारा तैयार करवाकर उस पर अपने एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाने के पश्चात नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर वादी को दिया गया था जिसके अनुसार भी वादी विभाजन करवाने के लिए तैयार हो गया किन्तु उक्त दस्तावेज के तैयार करवाने के

उपरान्त वादी द्वारा किये गये अनेकों प्रयास के उपरान्त भी प्रतिवादीगण जानबूझकर तहसील आमेर में भूमि अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे है और ना ही वादी को भूमि का विधिवत् विभाजन करवाकर अलग खाता एवं लगान कायम करवाने में सहयोग प्रदान कर रहें है।

वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के मध्य वर्षो पूर्व आपसी सहमत एवं रजामंदी के आधार पर किये गये विभाजन को वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में अलग–अलग रंगों से दर्शाया गया है जिसके अनुसार वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में ख0नं0 425 के पश्चिमी भाग पर नीले रंग से उत्तर–दक्षिण दिखाई गयी 0.04 हैक्टे भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी में 40 फिट चौडे रास्ते के रूप में रखी भूमि है तथा इस ख0नं की शेष 0.07 हैक्टे0 गुलाबी रंग से दर्शायी गयी भूमि प्रतिवादी सं0 1 से 3 की तथा हरे रंग से दर्शायी गयी 0.11 हैक्टे0 भूमि वादी की है। नजरी नक्शें में ख0नं0 440/2354 रकबा 0.45 हैक्टे0 सम्पूर्ण, ख0नं0 441 रकबा 0.16 हैक्टे0 सम्पूर्ण एवं ख0नं0 437 रकबा 1.71 हैक्टे0 भूमि में से उत्तरी और की 0.80 हैक्टे0 भूमि जिसे उक्त नक्शें में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है प्रतिवादी सं0 1 से 3 की तथा ख0नं0 437 के दक्षिणी ओर की 0.91 हैक्टे0 भूमि जिसे हरे रंग से दर्शाया गया है वादी के हक व हिस्से की भूमि है।

वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में खसरा नम्बर 439 रकबा 0. 84 हैक्टे0 भूमि में से उत्तरी ओर की 0.41 हैक्टे0 भूमि जिसे गुलाबी रंग से दर्शाया गया है प्रतिवादी सं0 1 से 3 की तथा दक्षिणी ओर की 0.43 हैक्टे0 भूमि जिसे हरे रंग से दर्शाया गया है वादी के हक, हिस्से एवं वास्तविक कब्जेकाश्त की भूमि है। ख0नं0 443 रकबा 0.17 हैक्टे0 एवं ख0नं0 442/2355 रकबा 0.27 हैक्टे0 सम्पूर्ण भूमि जिसे उक्त नक्शें में हरे रंग से दर्शाया गया है वादी के हक व हिस्से की भूमि है। भूमि विवादग्रस्त के कुल 3.82 हैक्टे0 रकबा में से वादी के हक व हिस्से में 1.91 हैक्टे0 भूमि एवं प्रतिवादी सं0 1 से 3 के हक व हिस्से में 1.91 हैक्टे0 भूमि आती है जिसमें से 0.04 हैक्टे0 दोनों पक्षों के संयुक्त हिस्से में रखने के पश्चात प्रत्येक पक्ष के हिस्से में 1.89 हैक्टे0 भूमि को वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में दर्शाये गये हिस्सेनुसार ही वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 3 वर्तमान में सम्पूर्ण भूमि विवादग्रस्त को आपस में विभाजित कर काश्त करते चले आ रहे है।

प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 को वादी ने हाल ही में दिनांक 11.01. 2013 को ग्राम लबाना में आयोजित राजस्व अभियान कैम्प के दिन भी वादी द्वारा भूमि विवादग्रस्त का विभाजन करवाने जाने हेतु उनके द्वारा लिखित में तैयार किये गये विभाजन पत्र के अनुसार अंतिम रूप से विधिवत् विभाजन करवाने का प्रस्ताव रखा किन्तु प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने वादी को भूमि

विवादग्रस्त का आपसी सहमति एवं रजामंदी से विभाजन करवाने से इंकार कर दिया प्रतिवादी सं0 1 व 2 के मन में कुछ बद्नियती उत्पन्न हो गयी और वे भूमि विवादग्रस्त के विधिवत विभाजन करवाए बिना ही अजनबी व्यक्ति को भूमि विवादग्रस्त का बेचान करने पर आमादा है जिसका कोई उन्हें कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

वाद वादी डिक्री किया जाकर ग्राम लबाना, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि वादग्रस्त ख0नं0 425 रकबा 0.22 हैक्टे0, 437 रकबा 1. 71 हैक्टे0, 437 रकबा 0.84 हैक्टे0, 440/2354 रकबा 0.45 हैक्टे0, 441 रकबा 0.16 हैक्टे0, 442/2355 रकबा 0.27 हैक्टे0 एवं 443 रकबा 0.17 हैक्टे0 कुल किता 7 रकबा 3.82 हैक्टे0 में से वादी हक व हिस्से की 1.89 हैक्टे0 भूमि को संलग्न नजरी नक्शें में हरे रंग से दशोर्य गये हिस्सेनुसार विधिवत विभाजन कर वादी का अलग खाता एवं लगान कायम किया जावे तथा गुलाबी रंग से दर्शाये गये भू–भाग का अलग खाता व लगान प्रतिवादी सं0 1 से 3 के नाम करते हुए ख0नं0 425 की नीले रंग से दर्शायी गयी भूमि जो कि 40 फीट चौडे रास्ते के रूप में वादी एवं प्रतिवादीगण के खेतों में आने जाने के लिए रास्ते के रूप में रखी गयी है को समस्त राजस्व भू अभिलेखों में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में अंकित की जाकर दोनों पक्षों की संयुक्त खातेदारी में रखी जावें। प्रतिवादी सं0 1 से 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि विवादग्रस्त का विभाजन होने के पश्चात वादी के हक व हिस्से में आने वाली भूमि पर वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करवावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गयी। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 की ओर से श्री महेश शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 1 ने प्रा0 पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी को पेश किया। वादी ने प्रा0पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का जवाब पेश किया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान कैम्प कोर्ट लबाना में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 के द्वारा दिनांक 21.5.2014 को प्रा0 पत्र आदेश 9 नियम 7 खारिज किया जाता है तथा वाद दावा विभाजन का होने से न्याय हित में वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः वादी का दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि वाद अधीन भूमि वाके ग्राम लबाना तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित भूमि ख0नं0 425 रकबा 0.22 हैक्टे0, ख0नं0 437 रकबा 1.71 हैक्टे0, ख0नं0 439 रकबा 0.84 हैक्टे0, ख0नं0 440/2354 रकबा 0.45 हैक्टे0, ख0नं0 441 रकबा 0.16 हैक्टे0, ख0नं0 442/2355 रकबा 0.27 हैक्टे0 एवं ख0नं0 443 रकबा 0.17 हैक्टे0, कुल किता 7 रकबा

3.82 हैक्टे0 में से वादी हक व हिस्से की रकबा 1.89 हैक्टे0 तथा ख0नं0 425 में से 40 फिट चौडा रास्ते के रूप में आने जाने के लिए रास्ते के रूप में रखी गयी भूमि का विभाजन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में कब्जेकाश्त को मध्यनजर रखते हुए 03–03 प्रतियों में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में भिजवायें।

उक्त आदेश कि पालना में तहसीलदार के पत्र क्रमांक/एल.आर./2021/177 दिनांक 12.01.2022 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाये गये जो दिनांक 20.01.2022 को शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। बहस का मनन किया। अतः वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विवादित भूमि ग्राम लबाना, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित ख0नं0 425 रकबा 0.22 हैक्टे0, ख0नं0 437 रकबा 1.71 हैक्टे0, ख0नं0 439 रकबा 0.84 हैक्टे0, ख0नं0 440/2354 रकबा 0.45 हैक्टे0, ख0नं0 441 रकबा 0.16 हैक्टे0, ख0नं0 442/2355 रकबा 0.27 हैक्टे0 एवं ख0नं0 443 रकबा 0.17 हैक्टे0, कुल किता 7 रकबा 3.82 हैक्टे0 में से वादी हक व हिस्से की रकबा 1.89 हैक्टे0 तथा ख0नं0 425 में से 40 फिट चौडा रास्ते के रूप में आने जाने के लिए रास्ते के रूप में रखी गयी भूमि का निम्नप्रकार विभाजन किया जाता है:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत	ख.नं.	रकबा (है0 में)	किस्म	लगान
1.	मंगला पुत्र जीवण जाति मीणा सा. गुनावता खातेदार	425 437 437/3 440/2354 439 443 442/2355	0.10 0.62 0.28 0.25 0.40 0.0850 0.12	बा. 2 बा. 2 बा. 2 गै.मु.नला बा. 3 बा. 3 गै.मु.नला	
	कुल	7	1.8550		
2.	पांची देवी पत्नी रेवड हि. 6183/18550, बाबूलाल पुत्र स्व. रेवड हि. 3750/18550, सीताराम पुत्र स्व. रेवड हि. 4969/18550 जाति मीणा सा.	425/1 437/2 437/4 2354/1 439/2	0.12 0.37 0.38 0.20 0.41	बा. 2 बा. 2 बा. 2 गै.मु.नला बा. 3	

	गुनावता खातेदार राधेश्याम पुत्र बनवारीलाल हि. 3642/18550 जाति मीणा सा. चन्नी हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड टैक्सटाईल जगदीश कॉलोनी माउन्ट रोड आमेर रोड जयपुर खातदेार	441 443/2 2355/2	0.16 0.0750 0.14	बा. 3 बा. 3 गै.मु.नला	
	किता	8	1.8550		
3.	मंगला पुत्र जीवण हि. 1/2, पांची देवी पत्नी रेवड हि. 184/1100, बाबूलाल पुत्र स्व. रेवड हि. 111/1100, सीताराम पुत्र स्व. रेवड हि. 147/1100 जाति मीणा सा. गुनावता, राधेश्याम पुत्र बनवारी लाल हि. 108/1100 जाति मीणा सा. चन्नी हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड टैक्सटाईल जगदीश कॉलोनी माउन्ट रोड आमेर रोड जयपुर खातदेार	437/1 439/1 443/1 2355/1	0.06 0.03 0.01 0.01	बा. 2 बा. 3 बा. 3 गै.मु.नला	
	किता	4	0.11		

तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त विभाजन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करें। कुर्रेजात रिपोर्ट निर्णय के जूज रहेंगे। अंतिम डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक **25.08.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।